


6.4.22

पत्रावली पेश हुई। D.B.C.W.P. सं.  
58/9/2006 तथा 5821/2006 में  
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक  
7.5.2014 को निर्णय पारित किया जा  
चुका ही प्रकरण में बारम्बार आवाज  
लगवाई गई। अपीलान्ट स्वयं या  
अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं हुए। पेशकार सरकार उपस्थित।  
वकील अपीलान्ट / स्वयं अपीलान्ट के  
उपस्थित नहीं होने के कारण अपील  
अपीलान्ट अहम हाजरी, अहम पैरवी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज  
नम्बर से कम है। बाद तक मील लखिल  
व्यपत्त है। अधीनस्थ न्यायालय का  
मूल रिकार्ड भेजा जावे।

  
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)  
जयपुर